मध्य भारत ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय,
पोद्दार कॉलोनी, महिला पॉलिटेकनिक छात्रावास के सामने, तिली रोड, सागर (म.प्र.)
अधिकारी वर्ग एवं लिपिक सह रोकड़िया वर्ग हेतु भर्ती
(विशेष भर्ती अभियान केवल अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लिए)

मध्य भारत ग्रामीण बैंक (भारतीय स्टेट बैंक से प्रायोजित) में अधिकारी एवं लिपिक सह रोकड़िया वर्ग के लिए निम्न पदों हेतु केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के मध्यप्रदेश के निवासी भारतीय नागरिकों से आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : 19.02.2009

लिखित परीक्षा की दिनांक :-

पद कोड-01 (अधिकारी श्रेणी- I) **26.04.2009**

पद कोड-02 (लिपिक सह रोकड़िया) **19.04.2009**

(1) रिक्तियां :

क्र.	पद	कोड	रिक्तियों की संख्या			जिनमें से	
			SC	ST	Total	PC	EX.S
01	अधिकारी श्रेणी-I	01	06	14	20	01	निरंक
02	लिपिक सह रोकड़िया	02	03	27	30	01	04

संक्षेपण :- **SC**- अनुसूचित जाति, **ST**- अनुसूचित जनजाति, **PC**- शारीरिक रूप से विकलांग, **OC**- आर्थोपेडिकली चैलेन्जड, **VI** दृष्टि क्षीणता, **HI**- श्रवण क्षीणता, **EX.S**- भूतपूर्व सैनिक।

नोट : PC- में **OC, VI** एवं **HI** सम्मिलित हैं।

नोट :- 1. रिक्तियों की संख्या एवं आरक्षित रिक्तियों की संख्या प्रॉविजनल है और बैंक की वास्तविक जरूरत के अनुसार उसमें परिवर्तन हो सकता है। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंक के सभी कार्यालय/शाखाओं में शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों की नियुक्ति करना संभव न होने से उन्हें बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त एवं निर्धारित किये गये पद पर कार्य करना होगा। 3. शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समानान्तर आधार पर होने से चुने गये उम्मीदवारों को उसी उपयुक्त श्रेणी जैसे- SC/ST में रखा जायेगा, जिसमें वे आते हैं।

वेतनमान एवं कुल प्राप्तियां :

पद	वेतनमान (रु.)
अधिकारी	रु. 10000-470/6- 12820-500/3- 14320-560/7- 18240
लिपिक वर्ग	रु. 4410-215/3- 5055-335/3- 6060-470/4- 7940-500/3- 9440-560/4- 11680-970/1- 12650-560/1- 13210

नोट : अन्य भत्ते एवं सुविधायें बैंक के नियमानुसार अनुमत होंगी।

प्रारम्भिक कुल प्राप्तियां निम्नानुसार होंगी (वर्तमान में प्रभावी मंहगाई भत्ता/गृह भाड़ा भत्ता)

अधिकारी वर्ग के लिए - रु. 15204.00 एवं लिपिक वर्ग के लिए रु. 6683.00

(2) पात्रता मानदण्ड - राष्ट्रीयता/नागरिकता : उम्मीदवार को (i) भारत का नागरिक या (ii) नेपाल या (iii) भूटान या (iv) तिब्बत के शरणार्थी जो 01 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी निवास करने की इच्छा से आये या (v) भारत में पैदा परन्तु पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, पूर्व अफ्रीकन देश केन्या, युगाण्डा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व तंगानिका एवं जंजीवार) जाम्बिया, मलाबी, जायर, इथोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी निवास करने की इच्छा से आये हों। उम्मीदवार के पास (ii) (iii) (iv) एवं (v) की श्रेणी में होने की पात्रता रखने का भारत सरकार से जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवार को पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के समय बैंक के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा परन्तु अंतिम चयन/नियुक्ति के समय आवश्यक पात्रता का, उसके लिए भारत सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सौंपना होगा। **उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।**

(3) आयु (दिनांक 01.01.2009 की स्थिति में) न्यूनतम 21 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष - अधिकारी वर्ग के लिए।
न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 31 वर्ष - लिपिक वर्ग के लिए।

ऊपरी आयु सीमा में छूट -

क्र.	श्रेणी	आयु में छूट
1.	ECOs/SSCOs सहित भूतपूर्व सैनिक कमीशंड, आफीसर के मामले में जिन्होंने कम से कम 05 वर्ष तक मिलिट्री सेवा की है और जो नियत कार्य पूरा होने के कारण सेवामुक्त हुए हैं (आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से आगामी एक वर्ष के अंदर जिनका नियत कार्य पूरा होने वाला है) किन्तु जिन्हें दुराचार और अकुशलता के कारण या मिलिट्री सेवा करने या उसके लिए उपयोगी न होने की शारीरिक अक्षमता के कारण निलंबित या सेवामुक्त कर दिया गया हो, पात्र नहीं होंगे।	रक्षा सेवा में सेवा काल के अतिरिक्त 05 वर्ष अधिकतम अधिकारी वर्ग हेतु, एवं 03 वर्ष अधिकतम लिपिक वर्ग हेतु उम्र सीमा 50 वर्ष भारत शासन के निर्देशानुसार
2.	ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग में 01.01.1980 से 31.12.1989 के दौरान निवास किया हो।	05 वर्ष
3.	विधवा, तलाकशुदा, अदालत द्वारा पति से पृथक, जिनकी पुनः शादी न हुई हो (जिनकी आयु अधिकतम 40 वर्ष हो) उन्हें केवल लिपिक में	09 वर्ष
4.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारी जिन्होंने न्यूनतम 05 वर्ष कार्य किया है	05 वर्ष
5.	शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के उम्मीदवार	10 वर्ष

नोट : 1. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर है। 2. भूतपूर्व सैनिक जिसने उसे पुनः रोजगार के लिए दिये गये भूतपूर्व सैनिक का लाभ लेने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में रोजगार सहित सिविल साईड में सरकारी नौकरी प्राप्त की है अन्य रोजगार के लिए उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाता है। 3. ऊपर के 3 (2) के तहत् आयु सीमा में छूट संबंधी पात्र सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय कश्मीर प्रभाग के ऐसे जिलाधीश का निवासी प्रमाण-पत्र पेश करना होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह सामान्य रूप से निवास करता रहा है या इस संबंध में जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी का प्रमाण-पत्र पेश करना होगा। 4. उम्मीदवार को इस संबंध में भारत सरकार के आदेशों एवं निर्देशों में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा करने पर ही उपरोक्त छूट उपलब्ध है। उम्र में छूट का दावा करने के लिए निर्धारित कम्युनिटि प्रमाण-पत्र की एक प्रति जमा करनी होगी।

5. **परिभाषा : शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति (PC)**

अक्षमता के वर्गों की परिभाषा :-

(क) अस्थि विकलांग (OC) व्यक्ति वह है जो चलने-फिरने में अक्षम (Locomotor Disability) है या जिसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (Cerebral Palsy) है। ऐसा व्यक्ति जिसमें कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक अक्षमता है (केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा यथा प्रमाणित) वह सेवाओं/पदों में आरक्षण का पात्र होगा। चलने-फिरने में अक्षमता का आशय अस्थि, जोड़ों या स्नायु की अक्षमता है जिससे अंगों को ठीक ढंग से हिलाया-डुलाया नहीं जा सकता या किसी तरह का प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का आशय है कि प्रसव पूर्व या प्रसव के दौरान या प्रसव के बाद या विकास की शैशवावस्था में मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने या चोट लगने से चलने-फिरने में असामान्य नियंत्रण वाले व्यक्ति की गैर वृद्धिशील स्थिति का समुच्चय। (ख) बधिर और श्रवण दोषयुक्त (HI) बधिर व्यक्ति वे हैं जिनकी श्रवण संवेदना जीवन के सामान्य उद्देश्यों के लिये काम नहीं करती अर्थात दोनों कानों से श्रवण शक्ति नष्ट हुई है। वे सुन नहीं सकते तथा एम्लिफाइड संभाषण की भी आवाज समझ नहीं सकते। श्रवण दोष का मतलब है उस कान में जो बेहतर है, कान्वर्सेशनल रेंज ऑफ फ्रिकवन्सीज में साठ डेसिबल से भी अधिक मात्रा में हानि। (ग) देखने में अक्षमता (VI) : देखने में अक्षम व्यक्ति वे हैं जो अंधापन या अल्पदृष्टि से पीड़ित हैं। **अंधापन** : अंधापन से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें व्यक्ति निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक से पीड़ित है (i) दृष्टि का पूर्ण अभाव, (ii) करेक्टिंग लैंस के साथ बेहतर आंख में दृष्टि शुद्धता 6/60 या 20/200 (स्नेलन) से अधिक नहीं है, (iii) दृष्टि के दायरे की सीमा 20 डिग्री कोन या उससे कम है। अल्प दृष्टि वाले व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है, उपचार या मानक रिफेक्टिव करेक्शन के बाद भी जिसकी दृष्टि में दोष है लेकिन उसमें उचित सहायक यंत्र से कार्य पूर्ण करने या योजना के लिए दृष्टि का उपयोग करने की संभावनापूर्ण क्षमता है या वह इसका उपयोग करता है। अक्षम दृष्टि वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी लिखने की गति प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण प्रभावित हुई है, वे लिखित परीक्षा के दौरान अपने खर्च पर लेखक की सेवा ले सकते हैं। लेखक के उपयोग वाले सभी मामलों में निम्नलिखित नियम लागू होंगे- (i) उम्मीदवार को अपने खर्च पर लेखक की व्यवस्था करनी होगी। (ii) लेखक की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित पात्रता मानदण्ड से एक श्रेणी कम होनी चाहिए। (iii) लेखक किसी भी शैक्षिक अनुशासन का हो सकता है। लेखक 60 प्रतिशत या कम अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ होना चाहिए। (iv) उम्मीदवार एवं लेखक दोनों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि लेखक ऊपर उल्लिखित लेखक के लिये निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में पता चलता है कि वह किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छुपाये गये हैं तो आवेदक की उम्मीदवारी रद्द हो जायेगी, लिखित परीक्षा का परिणाम चाहे कुछ भी रहा हो। (v) लेखक का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा के हर घंटे के लिये 20 मिनिट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

शैक्षणिक योग्यता - 01.01.2009 की स्थिति में : (पद कोड : 01)- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा इसके समकक्ष, (ii) ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी जिसे कम्प्यूटर का ज्ञान हो, (iii) स्थानीय भाषा अर्थात हिन्दी भाषा में दक्ष होना आवश्यक है तथापि इसके साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जावेगी।

पद कोड : 02)- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अथवा इसके समकक्ष, **अथवा** हायर सेकेण्डरी परीक्षा 10+2 या 10+2+3 पद्धति से/11+3 पद्धति से ग्यारहवीं की परीक्षा/प्री-डिग्री अथवा इन्टर मीडियट या अन्य समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 45 अंकों सहित उत्तीर्ण। **अथवा** केन्द्रीय/राज्य सरकार या मान्य राज्य क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त बैंकिंग डिप्लोमा। **अथवा** न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों सहित मैट्रिकुलेशन/एस.एस.सी (ओल्ड पैटर्न) उत्तीर्ण या समकक्ष

(ii) स्थानीय भाषा अर्थात हिन्दी भाषा में दक्ष होना आवश्यक है तथापि इसके साथ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iii) कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वालों को प्राथमिकता।

4. डाक खर्च (अप्रतिदेय) : रुपये 50.00

नोट : (i) डाक खर्च, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/मध्य भारत ग्रामीण बैंक द्वारा सागर (म.प्र.) पर देय, जारी किये गये एक डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक द्वारा प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग अदा किया जाना चाहिए जो निम्नानुसार आहरित हो :-

"मध्य भारत ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2009 आफीसर्स" सागर पर देय

"मध्य भारत ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2009 क्लेरिकल" सागर पर देय

(ii) उम्मीदवार को बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक के पीछे अपना नाम, जन्म तिथि एवं पता लिखना चाहिए। (iii) नगद/चैक/मनी ऑर्डर आदि द्वारा डाक खर्च का भुगतान स्वीकार नहीं किया जावेगा। (iv) उम्मीदवार दोनों पदों के लिए आवेदन करता है तो आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपेक्षित डाक खर्च के साथ प्रत्येक पद के लिए पृथक आवेदन पत्र जमा करना चाहिए। (v) एक बार आवेदन किये जाने पर उसे वापिस लेने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जावेगी एवं डाक खर्च वापिस नहीं किया जायेगा एवं न ही किसी अन्य चयन प्रक्रिया के लिए सुरक्षित रखा जावेगा।

5. चयन प्रक्रिया -

पद कोड 01 - उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। समस्त पात्र उम्मीदवार, जिनके द्वारा निर्धारित डाक खर्च जमा किया गया हो एवं जिनके आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुए हों, को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगेः-

क्र.	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	तर्क करने की योग्यता (Reasoning)	50	50	120 मिनिट
2.	परिमाणात्मक अभिरुचि	50	50	
3.	सामान्य संचेतना	50	50	
	योग	**150**	**150**	
4.	अंग्रेजी भाषा	50	50	30 मिनिट

पद कोड 02 - उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। समस्त पात्र उम्मीदवार जिनके द्वारा निर्धारित डाक खर्च जमा किया गया हो एवं जिनके आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में प्राप्त हुए हों, को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा। लिखित परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगेः-

क्र.	प्रश्न पत्र का प्रकार	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समयावधि
1.	तर्क करने की योग्यता (Reasoning)	50	50	120 मिनिट
2.	अंक दक्षता	50	50	
3.	लिपिकीय अभिरुचि	50	50	
	योग	**150**	**150**	
4.	अंग्रेजी भाषा	50	50	30 मिनिट

लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के घटते क्रम के आधार पर प्रावीण्य सूची बनायी जायेगी एवं जिसके आधार पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। साक्षात्कार हेतु रिक्तियों की संख्या के आधार पर प्रावीण्य सूची में से उपयुक्त रेंक वाले चार गुना उम्मीदवारों को बुलाया जायेगा। उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा पास कर लेने मात्र से वह साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का पात्र नहीं होगा। लिखित परीक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी, लिखित परीक्षा के बुलावा पत्र के साथ पुस्तिका के रूप में प्रेषित की जावेगी। उम्मीदवारों द्वारा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में अर्जित किये गये कुल अंकों के आधार पर अंतिम चयन होगा और यह पूर्णतः प्रावीण्यता के अनुसार होगा।

लिखित परीक्षा : (i) अधिकारी के लिए लिखित परीक्षा **रविवार** दिनांक **26.04.2009** को आयोजित होगी।

(ii) लिपिक सह रोकड़िया के लिए लिखित परीक्षा **रविवार** दिनांक **19.04.2009** को आयोजित होगी। (iii) लिखित परीक्षा की तिथियां परिवर्तनशील रहेंगी, प्रत्येक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कॉल लेटर के माध्यम से परीक्षा की सुनिश्चित तिथियों की सूचना दी जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक परीक्षा को रद्द करने या उसमें कोई परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (iv) लिखित परीक्षा निम्न केन्द्रों पर आयोजित होगी और परीक्षा स्थल के पते की सूचना कॉल लेटर में दी जायेगी :-

केन्द्र कोड संख्या	केन्द्र का नाम
11	सागर
12	गुना
13	छतरपुर

तथापि प्रतिसाद, प्रशासनिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंक किसी भी केन्द्र को रद्द करने/अन्य केन्द्र से जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। जरूरत एवं आवश्यकता को देखते हुए बैंक, उम्मीदवार द्वारा चुने गये केन्द्र के स्थान पर उसे कोई अन्य केन्द्र आवंटित करने और चयन के किसी मानदण्ड को हटाने का भी अधिकार सुरक्षित रखता है।

परिवीक्षा अवधि :

अधिकारी वर्ग के लिए	02 वर्ष
लिपिक वर्ग के लिए	01 वर्ष

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (दोनों पदों के लिए) : उम्मीदवारों को निःशुल्क "परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण" **भोपाल** में देने का प्रस्ताव है। बैंक के विवेकाधीन प्रशिक्षण केन्द्र में भी परिवर्तन हो सकता है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण लेने के इच्छुक पात्र उम्मीदवार को आवेदन-पत्र में संबंधित कॉलम को भरना चाहिए। संबंधित परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यात्रा, रहने, खाने आदि का सभी खर्च उम्मीदवार को वहन करना होगा।

आवेदन कैसे करें : (क) सभी पात्र उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के अंत में दिये गये निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप में आवेदन करना चाहिए, जो कि आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक पहुंच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। **(ख) यदि उम्मीदवार पात्र है और एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे ऐसे प्रत्येक पद पर, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है, के लिए पृथक डाक खर्च के साथ अलग आवेदन करना चाहिए।** (ग) उम्मीदवार को अपनी स्वयं की लिखावट में बड़े अक्षरों (Capital Letters) में आवेदन पत्र भरना चाहिए। (घ) आवेदन A-4 साईज के पेपर (11.69" × 8.27") में होना चाहिए और पूर्णतः **प्रारूप के अनुसार** होना चाहिए तथा उसमें किसी तरह का सुधार/बदलाव/ओव्हर राइटिंग नहीं होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ बिन्दु क्रमांक 17 में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां संलग्न होना चाहिए। (ड) हर तरह से पूर्ण आवेदन पत्र को सिर्फ साधारण डाक से निम्नलिखित पोस्ट बॉक्स नंबर पर भेजना चाहिए।

(उम्मीदवारों को संबंधित पोस्ट बॉक्स नंबर पर प्रत्येक पद के लिए पृथक रूप से एक लिफाफे में सिर्फ एक आवेदन पत्र भेजने की सलाह दी जाती है)

पोस्ट बाक्स नं0 8459, मण्डपेश्वर पोस्ट आफिस,
बोरीवली (वेस्ट) मुम्बई : 400 103

सामान्य निर्देश : 1. आवेदन पत्र के प्राप्त होने में हुए विलंब अथवा संप्रेषण के दौरान किसी तरह गुम हो जाने (डाक द्वारा) के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 2. चूंकि आवेदन पत्रों पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा कार्यवाही की जाएगी, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन पत्र निर्धारित फार्मेट के अनुसार हो। आवेदन पत्र को उचित एवं पूर्ण रूप से भरना चाहिए तथा इसमें किसी प्रकार का सुधार/परिवर्तन/अधिलेखन नहीं होना चाहिए। 3. आवेदक को अपनी स्वयं की लिखावट में अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (Capital Letters) में आवेदन पत्र भरना चाहिए, अंकों हेतु अंग्रेजी के अंकों का उपयोग किया जाना चाहिए। 4. आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में दिये गये पात्रता एवं अन्य मानदण्डों को पूरा करता है, यदि उम्मीदवार आवेदित पद के लिए अयोग्य पाया जाता है तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र को अस्वीकार करने के लिए बैंक स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों की पात्रता, पात्रता की जांच करने संबंधी चरण, परीक्षा, साक्षात्कार, चयन आदि के लिए दस्तावेज पेश करने के बारे में और भर्ती संबंधी अन्य मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवार के लिए बंधनकारी होगा। 5. उम्मीदवार उम्र में छूट चाहता है तो उसे आवेदन के साथ छूट प्राप्ति के लिए, प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिए। प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रेषित नहीं की जानी चाहिए। 6. एक बार आवेदन किये जाने पर उसे वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी और एक बार अदा किये गये डाक खर्च को किसी भी स्थिति में वापिस नहीं किया जायेगा और न ही किसी अन्य चयन के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। 7. आवेदन पत्र के साथ अपेक्षित डाक खर्च, संबंधित प्रमाण पत्र जहां जरूरी है, न होने या निर्धारित प्रारूप में न होने या उम्मीदवार का हस्ताक्षर न होने या **किसी भी तरह से अपूर्ण होने पर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।** 8. वर्तमान का पहचाना जा सकने वाला पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ, आवेदन पत्र पर अच्छी तरह चिपका होना चाहिए और उस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होना चाहिए, लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के समय प्रयोगार्थ इसी फोटोग्राफ की तीन प्रतियां स्वयं के पास रखी जानी चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय वही फोटो प्रस्तुत न कर सकने पर उन्हें अयोग्य ठहराया जायेगा। **9.** सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र (बैंक भी सम्मिलित) के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को उचित चैनल के मार्फत आवेदन पत्र भेजने चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय नियोक्ता का "आपत्ति नहीं प्रमाण पत्र" पेश करना होगा, ऐसा न होने पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा। मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक के साथ आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति निर्धारित समय में उक्त पते पर भेजी जा सकती है। 10. **केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन पत्र भेजें जो मध्यप्रदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने को तैयार हों।** 11. उम्मीदवार की पात्रता संबंधी सभी मामलों

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

की छानबीन, परीक्षा के आयोजन, साक्षात्कार, चयन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रलेख, तथा भर्ती संबंधी कोई अन्य मामले सहित, सभी मामलों में बैंक का निर्णय अंतिम होगा तथा उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक किसी पत्राचार या वैयक्तिक पूछताछ को स्वीकार नहीं करेगा।

12. विशिष्ट केन्द्र/स्थान/उम्मीदवारों के लिए आवश्यकतानुसार, बैंक अपने विवेकानुसार पुनः परीक्षा का आयोजन कर सकता है। 13. किसी अनाधिकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा जारी किये गये विज्ञापन में दी गयी गलत जानकारी के आधार पर दिये गये आवेदन पत्र के निरस्त किये जाने पर बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 14. जो उम्मीदवार एक से अधिक वर्गों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जैसे अधिकारी एवं लिपिक, उन्हें प्रत्येक समूह के लिए निर्धारित डाक खर्च के साथ अलग-अलग आवेदन अलग-अलग लिफाफे में प्रेषित किये जाने चाहिए एवं प्रत्येक आवेदन के साथ प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए। 15. उम्मीदवार को आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां प्रेषित करना चाहिए। 16. पते में परिवर्तन करने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न होना आवश्यक है।

(a) सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट/स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जो आयु का प्रमाण हो।
(b) एस.एस.एल.सी./एच.एस.सी./ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, प्रोफेशनल/रिसर्च आदि शैक्षणिक योग्यता की प्रत्येक वर्ष की मार्कशीट। (c) SC/ST/PC श्रेणी के होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति (यह प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा जारी निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करना चाहिए)। (d) भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार को आवेदन के साथ उसके सेवा से सेवानिवृत्ति अथवा पेंशन आर्डर की प्रति आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी एवं वे उम्मीदवार जो अभी भी रक्षा सेवा में कार्यरत् हैं, उन्हें अपने नियोक्ता से बैंक में चयनित होने पर समयावधि में बैंक में कार्य करने हेतु कार्यमुक्त किये जाने बाबत् प्रमाण पत्र दिया जाना आवश्यक है। (e) रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक, सागर (मध्यप्रदेश) पर देय भेजना चाहिए। (f) उम्मीदवार के मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
(g) शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति। (h) 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र/अंक सूची, जिसमें जन्म तारीख का उल्लेख हो।

18. इस विज्ञापन के कारण उत्पन्न विवाद **सागर (म.प्र.)** में स्थित न्यायालय के पूर्ण न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे। 19. अलग-अलग भेजे गये प्रमाण पत्र/राशि आदि को जोड़ने की जिम्मेदारी बैंक नहीं लेगा। 20. उम्मीदवार को केलकुलेटर, किसी प्रकार के मोबाइल फोन, पेजर या इस प्रकार के अन्य उपकरणों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। उम्मीदवार को अपने खर्च एवं जोखिम पर आवंटित केन्द्रों पर लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा और बैंक किसी तरह की क्षति या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 21. उम्मीदवार को उनके हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र इस प्रकार प्रेषित करें जिससे वे अंतिम तारीख से पूर्व प्राप्त हो जायें। डाक या अन्य किसी कारण से अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे। 22. अंतिम रूप से चयन किये गये उम्मीदवारों की नियुक्ति, उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ्य पाये जाने पर ही बैंक के सेवा नियमों के आधीन होगी।

SC/ST/PC को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी : इस प्रकार हैं :-

(क) SC/ST जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी/जिलाधीश/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वृतिक दण्डाधिकारी/उप प्रभागीय दण्डाधिकारी/तालुका दण्डाधिकारी/कार्यकारी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त सह आयुक्त/प्रमुख प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त प्रमुख प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी/प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी/राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार की श्रेणी से नीचे न हो। जिस क्षेत्र में उम्मीदवार का अथवा उसके परिवार का सामान्यतः निवास हो, उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी। (ख) शारीरिक विकलांग के लिए अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडीकल बोर्ड, प्राधिकृत प्रमाणीकरण अधिकारी होगा। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्य वाले मेडीकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें से एक सदस्य, चलने-फिरने/प्रमस्तिष्कीय/देखने/सुनने की अक्षमता (जैसी भी स्थिति हो) निर्धारित करने के लिए संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ होगा।

कदाचार का दोषी पाये जाने पर उम्मीदवार के विरुद्ध कार्यवाही :

उम्मीदवार को उनके हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र, प्रमाण पत्र/सत्यप्रतिलिपि, में उन्हें किसी तरह का मिथ्या, हेरफेर करके, जाली विवरण नहीं देना चाहिए या किसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी छुपानी नहीं चाहिए लिखित परीक्षा/साक्षात्कार के समय यदि किसी उम्मीदवार को निम्नलिखित मामले में दोषी पाया जाता है:-

(i) परीक्षा के दौरान अनुचित साधन का उपयोग करता है। (ii) प्रतिरूपण (Impersonating) करता है या किसी व्यक्ति द्वारा करवाता है। (iii) परीक्षा में दुर्व्यवहार करता है या परीक्षा हाल से प्रश्न पुस्तिका या उसके किसी हिस्से/उत्तरशीट को बाहर ले जाता है/पहुंचाता है। (iv) चयन में अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेता है। (v) अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करता है।

ऐसे में उम्मीदवार आपराधिक कार्यवाही का पात्र होने के अतिरिक्त निम्न का पात्र होगा :-

(अ) उस परीक्षा से उसे अपात्र करार दिया जायेगा जिसमें वह उम्मीदवार है। **(ब)** मध्य भारत ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या भर्ती से या तो स्थायी रूप से या किसी विशेष अवधि के लिए उसे रोक दिया जायेगा।
(स) यदि वह बैंक में नियुक्त हो चुका है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

यदि निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत संदेह होता है कि आपस में नकल की गयी है और प्राप्त अंक सही/वैध नहीं हैं तो बैंक द्वारा समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों का विश्लेषण किया जायेगा, तथा ऐसी किसी भी स्थिति में बैंक के पास उसकी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि : सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र **दिनांक 19.02.2009** या उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। **अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।**

लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर : सभी पात्र उम्मीदवारों को, उनके आवेदन पत्र में दिये गये पते पर लिखित परीक्षा हेतु कॉल लेटर साधारण डाक से प्रेषित किये जायेंगे अन्य पते पर कॉल लेटर भेजे जाने संबंधी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

अधिकारी पद हेतु पात्र उम्मीदवार को यदि दिनांक 20.04.2009 तक कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तब वह बैंक के कार्यालयीन समय में दिनांक 21.04.2009 से 25.04.2009 के मध्य अपना नाम, पता, आवेदन पत्र की छायाप्रति एवं बैंक ड्राफ्ट के विवरण सहित निम्न पते पर संपर्क करें, जिससे बैंक द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके। लिपिक सह रोकड़िया हेतु पात्र उम्मीदवार को यदि दिनांक 14.04.2009 तक कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तब वह बैंक में दिनांक 15.04.2009 से 18.04.2009 के मध्य अपना नाम, पता, आवेदन पत्र की छायाप्रति, एवं बैंक ड्राफ्ट के विवरण सहित निम्न पते पर कार्यालयीन समय में संपर्क करें, जिससे बैंक द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही की जा सके।

पता-

मध्य भारत ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, पोद्दार कॉलोनी,
महिला पॉलिटेकनिक छात्रावास के सामने, तिली रोड, सागर (म.प्र.)

मध्य भारत ग्रामीण बैंक के कर्मचारी भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि पद से संबंधित अर्हतायें पूर्ण करते हों।

टीप : यह विज्ञापन 'अंग्रेजी-प्रारूप' का रूपान्तर है। किसी मतभेद (Dispute) की स्थिति में 'अंग्रेजी-प्रारूप' जो हमारी बेवसाइट-www.mbgbank.co.in में है, के बिन्दु सही माने जावेंगे।

स्थान : सागर
दिनांक : 12.01.2009

अध्यक्ष